मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
//आदेश//

भोपाल,दिनांक 30-1-2019

कमांक/ 228 / 1465 /38-3/2018. डॉ. जवाहर सिंह परिहार,सहायक प्राध्यापक,हिन्दी, अनुदान प्राप्त अशासकीय जनता महाविद्यालय,रीवा को दिनांक 1.1.86 को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्रदान किया गया था । इसके 8 वर्ष पश्चात कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा के आदेश कमांक/अनु.अधि-1/अनुदान/ यूजीसी/ 91/ 1796 दिनांक 26.3.19 एवं संशोधित आदेश कमांक/अनु.अधि-1/यूजीसी/91 दिनांक 16.11.2000 व कमांक/अनु. अधि-1/यूजीसी/91/95 दिनांक 12.2.02 द्वारा दिनांक 30.11.88 से प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किया गया है । प्रवर श्रेणी वेतनमान में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रावधानानुसार आदेश कमांक/1122/15/आउशि/न्याया.अनु./15 दिनांक 12.7.16 द्वारा दिनांक 1.1.06 से चतुर्थ पे-बैण्ड में स्थानन किया गया है ।

2. आदेश दिनांक 12.7.16 की कंडिका-4 में यह उल्लेख है कि यदि किसी अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच/लोकायुक्त/आर्थिक अपराध एवं अन्य कोई जांच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुये तत्काल जानकारी आयुक्त,उच्च शिक्षा को भेजें । इसके तारतम्य में प्राचार्य, जनता महाविद्यालय, रीवा द्वारा अवगत कराया गया कि डॉ.परिहार द्वारा प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु आवश्यक योग्यता अंतर्गत दो रिफ्रेशर कोर्स पूर्ण नहीं करने के कारण चतुर्थ पे-बैण्ड के अनुसार वेतन-भत्ते एवं एरियर्स का भुगतान करने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है ।

3. इसी परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेख है कि यू.जी.सी.की गाइड लाईन के अनुसार वरिष्ठ एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु निर्धारित अर्हताओं के अनुसार ओरियेंटेश/रिफ्रेशर कोर्स करना आवश्यक है और इसके संबंध में समय-समय पर शासन आदेश/निर्देश भी जारी किये गये है । इसके अनुसार आवश्यक कोर्स पूर्ण करने हेतु दिनांक 31.12.13 तक समय भी प्रदान किया गया है । इसके अनुकम में म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय के आदेश कमांक/826/787/38-3/2018 दिनांक 18.9.18 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान में वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं चतुर्थ पे-बैण्ड प्रदान करने के संबंध में जारी नीतिगत निर्णय/स्पष्टीकरण के बिन्दु-3(2) में उल्लेख है कि "जिन प्रकरणों में संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि की तिथि 31.12.2013 तक निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति नहीं की गई और उनको वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं चतुर्थ पे-बैण्ड पूर्व में प्रदान किया जा चुका है, ऐसे प्रकरणों में निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।"

4. उक्त निर्देशों के अनुकम में डॉ.जवाहरलाल परिहार,सहायक प्राध्यापक का वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं चतुर्थ पे-बैण्ड में स्थानन का प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु विभाग स्तर पर गठित स्थानन/छानबीन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया । परीक्षण में पाया गया कि पुनरीक्षित वेतनमान हेतु आवश्यक ओरियेंटेशन/रिफ्रेशर कोर्स से दिनांक 17.6.87 तक पूर्णतः छूट प्रदान की गई थी । इसके पश्चात की

तिथि में पुनरीक्षित वेतनमान आवश्यक निर्धारित कोर्स पूर्ण करना आवश्यक होगें । साथ ही कोर्स पूर्ण करने हेतु शासन द्वारा दिनांक 31.12.13 तक समय प्रदान किया गया था । डॉ. परिहार को ऊपर उल्लेखित आदेश द्वारा दिनांक 30.11.88 से प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किया गया है । डॉ. परिहार द्वारा प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु आवश्यक योग्यतायें (ओरियेंटेशन/रिफ्रेशर कोर्स) समय प्रदान करने के पश्चात भी पूर्ण नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में डॉ. परिहार को प्रवर श्रेणी वेतनमान की पात्रता नहीं बनती है और इसी अनुक्रम में चतुर्थ पे-बैण्ड की पात्रता भी नहीं बनती है।

5. अतः समस्त तथ्यों, आदेशों/निर्देशों एवं प्रावधान के अंतर्गत पूर्ण परीक्षणोपरान्त डॉ. जवाहरलाल सिंह परिहार,सहायक प्राध्यापक,हिन्दी, जनता महाविद्यालय,रीवा को ऊपर उल्लेखित आदेशों द्वारा दिनांक 30.11.88 से प्रदत्त प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं दिनांक 1.1.06 से प्रदत्त चतुर्थ पे-बैण्ड वेतनमान निर्धारित अर्हतायें पूर्ण न करने के कारण एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

अवर सचिव
म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक/ 228 / 1465 /38-3/2018 भोपाल,दिनांक 30-1-2019

प्रतिलिपिः-

1. माननीय मंत्री,उच्च शिक्षा,म.प्र.शासन के निज सचिव ।
2. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल ।
3. महालेखाकार,मध्यप्रदेश,ग्वालियर ।
5. आयुक्त,उच्च शिक्षा,म.प्र.,भोपाल ।
6. कार्यालय संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
5. संबंधित उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा,रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
7. कुलसचिव,अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,रीवा ।
8. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,रीवा संभाग,रीवा ।
9. वि.क.अ.(आई.टी.सेल),कार्या.आयुक्त,उच्च शिक्षा,भोपाल की ओर विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
10. प्राचार्य/शिक्षाधिकारी, शासकीय अग्रणी विज्ञान महाविद्यालय,रीवा ।
11. प्राचार्य,अनुदान प्राप्त अशासकीय जनता महाविद्यालय,रीवा । कृपया आदेश की प्रति संबंधित अधिकारी को भी उपलब्ध कराने का करावे ।
12. कोषालय/उप कोषालय अधिकारी,संबंधित कोषालय,मध्यप्रदेश।
13 संबंधित अधिकारी,अनुदान प्राप्त अशासकीय जनता महाविद्यालय,रीवा ।

...............................की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अवर सचिव
म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग